गोपीराम बनाम चानादेवी मु.नं. 65/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/11/21	आज दिनांक 12-11-21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत ग्राम पंचायत कालियासर में आयोजित कैम्प के तहत पत्रावली पेश हुई। कैम्प में वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। जो शामिल पत्रावली रहे। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अनुसार संक्षेप में तथ्य निम्नानुसार है:- वादी व्गै ग्राम कालियासर स्थित भूमि ख०न० 56 रकबा 1.12 है०, ख.न. 57 रकबा 2.05 है०, ख०न० 59 रकबा 1.50 है०, ख०न० 115 रकबा 2.41 है०, ख०न० 121 रकबा 0.10 है० व ख०न० 115/308 रकबा 0.08 है० में वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 2 के हिस्से में ख०न० 321/56 रकबा 0.28 है०, ख०न० 57 रकबा 2.05 है०, ख०न० 322/115 रकबा 1.21 है०, ख०न० 115/308 रकबा 0.08 है० व ख०न० 121 रकबा 0.10 है० में 1/3-1/3 हिस्से के सहखातेदार हुये। जिसमें प्रतिवादीया न० 1 चानादेवी ने अपने हिस्से की 1/3 भाग का हक त्याग प्रतिवादी न० 2 रामकुमार के पक्ष में कर दिया। वादी द्वारा प्रतिवादीया न० 1 चानादेवी द्वारा किये गये हक त्याग की भूमि का वादी व प्रतिवादी न. 2 को बराबर-2 सहखातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है। आज दिनांक 12-11-21 को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित कैम्प में प्रतिवादीगण 1 ता 2 व वादी उपस्थित होकर अपना राजीनामा प्रस्तुत किया। प्रस्तुत राजीनामा जो सरपंच, ग्राम पंचायत कालियासर से तस्दीक शुदा है, के द्वारा प्रतिवादीया न. 1 चानादेवी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किये गये हक त्याग दिनांक 21-2-15 की भूमि वादी व प्रतिवादी न० 2 के नाम बहिस्सा बराबर-बराबर दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरस्त करने पर सहमती बनी। जो कि वादपत्र में वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुरूप है तथा राजीनामा लोक अदालत की पवित्र भावना से प्रेरित होकर किया गया है अतः प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत ग्राम पंचायत कालियासर में आयोजित कैम्प में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 2 की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम कालियासर स्थित भूमि ख०न० 321/56 रकबा 0.28 है०, ख०न० 57 रकबा 2.05 है० ख०न० 322/115 रकबा 1.21 है०, ख०न० 115/308 रकबा 0.08 है०

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम मलसीसर

गोपीराम बनाम धान्यादेवी

किस्म मुकदमा दावा घोषणार्थ नं. 265 सन 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व ख०न० 141 रकबा 0.10हे० में प्रतिवादी संख्या 1 धान्या देवी के हक हकूक की 1/3 हिस्से की भूमि जो प्रतिवादिया द्वारा प्रतिवादी संख्या-2 के हक में दिनांक 21-2-15 को हक त्याग की गई थी, में वादी व प्रतिवादी संख्या-2 को 1/2-1/2 हिस्से का सह-खातेदार घोषित किया जाता है। निर्णय मजमे आम में पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (साबूराम जाट) प्रभारी अधिकारी, मलसीसर प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर	